

कार्यालय जनपद पंचायत नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

क्रमांक/ 5462 /ज.पं./स्थापना/2025-26

/नारायणपुर, दिनांक 12/12/2025

प्रति,

उप महाप्रबंधक
छ0ग0 संवाद रायपुर

विषय:- विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशन करने बाबत।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 की अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार जनपद पंचायत नारायणपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायनार में ग्राम सभा मोबिलाइजर की नियुक्ति हेतु विज्ञापन रायपुर की किसी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाना है।

अतः रायपुर की किसी एक दैनिक पत्र में प्रकाशन कर प्रकाशन उपरान्त देयक कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ0क्रमांक/ 5463 /ज.पं./स्थापना/2025-26
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नारायणपुर
/नारायणपुर, दिनांक 12/12/2025


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जनपद पंचायत नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

क्रमांक/ 5406 /ज.पं./स्था./आर.जी.एस.ए./2025-26

/नारायणपुर, दिनांक 08/12/2025

//विज्ञापन//

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर के पत्र क्रमांक/4632/जि.पं./आ.जी.एस.ए./2025-26 नारायणपुर दिनांक 08/12/2025 के तहत एवं पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ विकास भवन, नवा रायपुर अटलनगर का पत्र क्रमांक/पंचा./आर.जी.एस.ए./28/2025/707/अटलनगर, नवा रायपुर दिनांक 05/12/2025 के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत वर्ष 2025-26 की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार Special Support for PESA Areas मदान्तर्गत जिला नारायणपुर अन्तर्गत 30 ग्राम पंचायतों में से जनपद पंचायत नारायणपुर अन्तर्गत-01 ग्राम पंचायत रायनार में ग्राम सभा मोबिलाइजर्स नियुक्त करने हेतु विज्ञापित प्रकाशित की जाती है। ग्राम सभा मोबिलाइजर का चयन निम्नानुसार मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा।

योग्यता

1. शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
4. अभ्यर्थी की गांव/पंचायत स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।

5//

चयन प्रक्रिया :-

- जनपद पंचायत के समिति गठित कर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
- नियुक्ति एवं वर्ष (वित्तीय वर्ष समाप्ति तक) या योजना समाप्त किये जाने तक जो पहले हो के लिए होगी।
- इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। स्थायीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- चयन पारदर्शिता, पात्रता व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।
- जनपद पंचायत नारायणपुर अन्तर्गत नियम नेल्लानार के ग्राम पंचायत हेतु चयनित 01 ग्राम सभा मोबिलाइजर ग्राम पंचायत रायनार हेतु नियुक्त किया जावेगा।

6//

मानदेय :-

- ग्राम सभा मोबिलाइजर को मासिक मानदेय राशि रु. 4000/- देय होगा। यह पद पूर्णतः अस्थायी है। अतः इसके अतिरिक्त अन्य सुविधा यथा किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान, अनुकम्पा, भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

7//

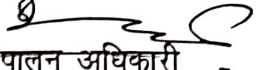
कार्य :-

- मुख्य रूप से पेसा अधिनियम 1996 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के साथ-साथ शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे।
- इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अनुसार तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदाय करेंगे।

8//

आवेदन की प्रक्रिया :-

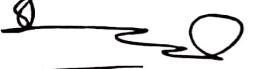
- ग्राम सभा मोबिलाइजर हेतु दिनांक 16/12/2025 तक अनिवार्य रूप से आवेदन डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से कार्यालयीन समय में कार्यालय के आवक-जावक शाखा में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नारायणपुर
जिला-नारायणपुर (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/ 5407 /ज.पं./स्था./आर.जी.एस.ए./2025-26
प्रतिलिपि:-

/नारायणपुर, दिनांक 09/12/2025

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ। कृपया राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु सूचनार्थ।
5. प्रबंधक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नारायणपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया जिला वेबसाइट में सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत नारायणपुर
जिला-नारायणपुर (छ0ग0)